(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 834–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–2–2017 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, आरोन जिला गुना प्रकरण कमांक 12/अपील/2016–17.

1– फतेह सिंह पुत्र रामरतन

2– दिनेश रामरतन

निवासीगण ग्राम देवरी

तहसील आरोन जिला गुना .....आवेदकगण

विरूद्ध

अजय पुत्र सुल्तान

निवासी रूसिया

तहसील आरोन जिला गुना .....अनावेदक

श्री आर.एस. सेंगर, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री एस.पी. धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/9/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अनुविभागीय अधिकारी, आरोन जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, आरोन जिला गुना के प्रकरण कमांक 126/अ–19/1978–79 में पारित आदेश दिनांक 20–7–1979 के विरूद्ध अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, आरोन जिला गुना के समक्ष दिनांक 18–11–2016 को 37 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूंकि प्रथम अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 12/अपील/2016–17 दर्ज कर दिनांक 28–2–2017 को आदेश पारित कर विलम्ब क्षमा गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा वर्ष 1978–79 में शासन की नीति अनुसार पट्टा आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए दिनांक 27–7–1979 को आदेश पारित कर आवेदकगण के पिता को सर्वे कमांक 309 में से रकबा 0.627 हेक्टेयर एवं अनावेदक के पिता सुल्तान के नाम पूर्व से रकबा 1.604 हेक्टेयर भूमि होने से सर्वे कमांक 200 में से रकबा 0.400 हेक्टेयर भूमि पट्टा स्वीकृत किये गये थे । यह भी कहा गया कि पट्टे पर भूमि प्राप्त होने के बाद प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया था, और वर्तमान में प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण के नाम नामान्तरण होकर वे कृषि कार्य कर रहे हैं । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 57 एवं 11 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 18–10–2016 को आदेश पारित कर अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया था । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय की उक्त कार्यवाही के विरूद्ध न तो अनावेदक के पिता द्वारा तत्समय कोई अपील प्रस्तुत की गई, और न ही आवेदक द्वारा कोई अपील नहीं की गई थी, किन्तु अनावेदक द्वारा अत्यधिक विलम्ब से 37 वर्ष पश्चात अनुविभागीय अधिकारी के उक्त प्रकरण का सहारा लेकर जानकारी का स्रोत बताते हुए प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में इतने अधिक विलम्ब के सम्बंध में प्रत्येक दिन के विलम्ब का

कारण नहीं दर्शाया गया है, और विलम्ब के सम्बन्ध में कारण बताये गये हैं, वह समाधानकारक नहीं है, फिर भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इतने अत्यधिक 37 वर्ष के विलम्ब को क्षमा करने में अवैधानिकता की गई है, इसलिए उनका आदेश निरस्त किया जाये ।

तर्कों के समर्थन में 1989 आर.एन. 243, ए.आई.आर. 1962 (सु.को.) 361, 2000 आर.एन. 153 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण का प्रश्नाधीन भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण पिछड़ा वर्ग के होकर भूमिहीन नहीं हैं । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक हरिजन वर्ग का है, और शासन की नीति हरिजन वर्ग के व्यक्ति को पट्टा दिये जाने की है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि जानकारी के दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत की गई थी, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक न्याय दृष्टांत का उल्लेख करते हुए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी गुण–दोष पर निर्णय लिया जाना है, जहां आवेदकगण को सुनवाई का अवसर उपलब्ध है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक द्वारा लगभग 37 वर्ष विलम्ब से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है । इतनी अधिक लम्बी अवधि को क्षमा कर अपील समय सीमा में मान्य करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, क्योंकि 37 वर्ष के विलम्ब का समाधानकारक कारण अनावेदक द्वारा नहीं बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस तथ्य की भी जॉच नहीं की गई है कि क्या अनावेदक को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसीलदार के आदेश दिनांक 20–7–79 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकार था अथवा नहीं । स्पष्ट है कि

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश नहीं है, इस कारण अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–2017 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर